1/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी ने अपने कथनों में प्रार्थना-पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराया व अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अधि. प्रार्थी के तथ्यों का खण्डन किया व अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को अस्वीकार/खारिज करने हेतु कथन किया व अप्रार्थीगण को अपने हक व हिस्सा की भूमि पर मवेशियों के लिए टीनशेड के निर्माण की अनुमति जारी करने के सम्बन्ध में निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तादौराने दावा विवादित भूमि खसरा नम्बर 109, ख.न. 110, ख.न. 111, ख.न. 113 कुल किता 4 कुल रकबा 2.2900 हैक्टर वाके ग्राम शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि पर मौके पर कोई निर्माण न करें तथा विक्रय व विक्रय बाबत नामान्तरकरण आदि न करें। उक्त स्थगन आदेश अप्रार्थीगण द्वारा मवेशियों के लिए टीनशेड के निर्माण पर लागू नहीं होगा। अप्रार्थीगण टीनशेड मवेशियों के लिए निर्माण कर सकते हैं व उक्त स्थगन कृषि सुधार, कृषि ग्रहण, विद्युत कनेक्शन, चालू/प्रचलित/पुरानी रास्ता पर लागू नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर